<u>**ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा**</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III) दिनांक: 11 नवंबर, 2019

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर)

विषय:- अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) हेतु संशोधित अनुसूची - तत्संबंधी।

संदर्भ:-

1. पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2019, दिनांक 25.07.2019
2. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड.III), दिनांक 31.07.2019
3. पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2019, दिनांक 02.08.2019
4. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 09.08.2019
5. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 30.08.2019
6. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 28.09.2019 एवं
7. पत्र सं. 23/2019-ईआरएस (खण्ड-III), दिनांक 12.10.2019

महोदय/महोदया,

मुझे उद्धृत विषय के संबंध में आयोग के उपर्युक्त पत्रों का संदर्भ देने का निदेश हुआ हैं, जिनके द्वारा आवश्यक अनुदेशों/दिशा निर्देशों सहित निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) और दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण हेतु अनुसूची संप्रेषित की गई थी। आयोग ने ईवीपी की प्रगति की समीक्षा की है और यह पाया है कि बड़ी संख्या में समावेशन/विलोपन/सुधार हेतु प्राप्त प्ररूपों का निपटान अभी मसौदा प्रकाशन से पूर्व किया जाना है। आयोग को कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए और समय मांगा है।

2. उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने ईवीपी को पूरा करने की समय अवधि बढ़ाने और तद्नुसार नीचे दी गई सारणी के अनुसार विशेष सार पुनरीक्षण, 2020 की अनुसूची में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

क्रम सं.	गतिविधि	अवधि
1.	निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) तथा मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण सहित अन्य पूर्व-संशोधित गतिविधियां	30.11.2019 तक (शनिवार)
2.	एकीकृत मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	16.12.2019 को (सोमवार)
3.	दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु अवधि	16.12.2019 (सोमवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक
4.	दावों एवं आपत्तियों का निपटान	27.01.2020 (सोमवार) तक
5.	अनुपूरकों की तैयारी	04.02.2020 (मंगलवार) तक
6.	निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन	07.02.2020 (शुक्रवार) को

3. सभी संबंधित पदाधिकारियों/अधिकारियों को आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाएगा।

4. सभी उपलब्ध मीडिया के माध्यम से एसएसआर, 2020 की संशोधित अनुसूची का व्यापक प्रचार किया जाएगा। राजनीतिक दलों को संशोधित अनुसूची की सूचना लिखित में दी जाएगी।

भवदीय,

(रितेश सिंह)
अवर सचिव